झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

आदेश

संचिका संख्या– 4/आ0–03–1005/2018 333 राँची,दिनांक– 20/12/18

विभागीय आदेश संख्या–319 सहपाठित ज्ञापांक–4902 दिनांक–10.12.18 द्वारा श्री महाबीर प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, लातेहार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पलामू की टीम द्वारा दिनांक–18.07.18 को रंगे हाथ रिश्वत लेते हूए गिरफतार करने एवं श्री प्रसाद द्वारा बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये अप्राधिकृत रूप से मनरेगा का कार्य भार ग्रहण करने के बिरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री कामेश्वर प्रसाद, विभागीय जाँच संचालन पदाधिकारी को जाँच संचालन पदाधिकारी तथा श्री राकेश चन्द्र, अवर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

2. श्री कामेश्वर प्रसाद, विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा उक्त आदेश की प्रति विभाग को वापस करते हुए सूचित किया गया है कि उनके द्वारा कनीय अभियंता से संबंधित मामले नहीं देखे जाते हैं। उक्त वर्णित स्थिति में सक्षम प्रधिकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्री कामेश्वर प्रसाद, विभागीय जाँच संचालन पदाधिकारी के स्थान पर श्री इन्द्रदेव मण्डल, संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जाँच संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. आदेश संख्या–319 सहपाठित ज्ञापांक–4902 दिनांक–10.12.18 में अंकित शेष आदेश यथावत् रहेगें।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री महाबीर प्रसाद तत्कालीन कनीय अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमणडल ,लातेहार सम्प्रति कनीय अभियंता (पदस्थापन की प्रत्याशा में) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ,झारखण्ड ,राँची एवं अन्य संबंधित को प्रपत्र–क (साक्ष्य सहित) के साथ उपलब्ध करायी जाय।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 5099 राँची,दिनांक– 20/12/18

प्रतिलिपि– मा0 विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अभियन्ता प्रमुख कोषांग /सभी मुख्य अभियन्ता/सभी संयुक्त सचिव/ सभी अधीक्षण अभियन्ता (यॉंत्रिक सहित)/सभी अवर सचिव/सभी कार्यपालक अभियन्ता (यॉंत्रिक सहित) / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–3, 4 एवं 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 5099 राँची,दिनांक– 20/12/18

प्रतिलिपि– श्री कामेश्वर प्रसाद ,विभागीय जाँच संचालन पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ श्री इन्द्रदेव मण्डल, संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सह जाँच संचालन पदाधिकारी को आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) तथा श्री राकेश चन्द्र ,अवर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सह उपस्थापन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोपरि।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के संयुक्त सचिव।
20/12/18

ज्ञापांक– 5099 राँची,दिनांक– 20/12/18

प्रतिलिपि– श्री महाबीर प्रसाद तत्कालीन कनीय अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमणडल ,लातेहार सम्प्रति कनीय अभियंता (पदस्थापन की प्रत्याशा में) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/18

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 5099 राँची,दिनांक– 20/12/18

प्रतिलिपि–श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक (IT) (PMU), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय बेवसाईड पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/18

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के संयुक्त सचिव।

20/12/18